

/न्यायालय-ओ.पी.एस.रघुवंशी,प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर,
जिला-शाजापुर म.प्र./

क्रमांक-

आगर, दिनांक-

//आवश्यक सूचना//

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक व्यू 12 जबलपुर दिनांकित 04.05.2020 एवं परिपत्र क्रमांक ए/911 जबलपुर दिनांकित 05.05.2020 तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय शाजापुर के परिपत्र क्रमांक 2037 शाजापुर दिनांकित 06.05.2020 व पृष्ठांकन क्रमांक 2038 शाजापुर दिनांकित 06.05.2020 अनुसार ऐसे अत्यावश्यक मामले जो निराकरण के प्रक्रम पर है अथवा जिनमें पक्षकारगण की न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक नहीं है और जिनकी सुनवाई वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से की जा सकती है, को सुनवाई में लिए जाने के निर्देश देते हुए ऐसे प्रकरणों की कॉज लिस्ट जारी किए जाने का आदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय में अंतिम तर्क एवं आदेश हेतु लंबित ऐसे सिविल अपील प्रकरण जो केवल अधिवक्ताओं को सुनकर निराकृत किए जा सकते हैं, को निम्नलिखित कॉज लिस्ट अनुसार कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित नियत पेशी दिनांक पर सुनवाई में लिया जाएगा :-

स.क्र.	प्रकरण क्रं.	उन्वान	आगामी तिथि	उद्देश्य	अधिवक्ताओं के नाम
1	2	3	4	5	6
1	आर.सी.ए. /100026/2013	चैनसिंह आदि वि. लाभुवाई आदि	09.05.2020	अंतिम तर्क	श्री एस.के. मारू, अधि. सुश्री अंजू चौबे, अधि.
2	आर.सी.ए. /100008/2016	गबसिंह आदि वि. परबतसिंह आदि	09.05.2020	अंतिम तर्क	श्री आर.एन. शर्मा, अधि. श्री आनंद स्वरूप श्रीवास्तव, अधि. श्री अशोक गवली, ए.जी.पी.

उक्त प्रकरणों की सुनवाई केवल वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से ही की जावेगी। अधिवक्तागण अपने निवास/कार्यालय से ही वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय की व्ही.सी. यूनिट से कनेक्ट करते हुए अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपनी लिखित बहस इस न्यायालय की ईमेल आई.डी. ops.raghuvanshi@ajj.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

(ओ.पी.एस.रघुवंशी)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर, जिला शाजापुर (म0प्र0)
आगर, दिनांक-

पृष्ठांकन क्रं.-

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ आगर की ओर उल्लिखित अधिवक्तागण को सूचित करने हेतु प्रेषित।

(ओ.पी.एस.रघुवंशी)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर, जिला शाजापुर (म0प्र0)

न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 आगर जिला शाजापुर म0प्र0

क्रमांक - /20

आगर, दिनांक -

आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक व्यू-12 जबलपुर दिनांकित 04.05.2020 एव परिपत्र क्रमांक ए/911 जबलपुर दिनांकित 05.05.2020 तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय शाजापुर के परिपत्र क्रमांक 2037 शाजापुर दिनांकित 06.05.2020 व पुष्पाकन क्रमांक 2038 शाजापुर दिनांकित 06.05.2020 अनुसार ऐसे अत्यावश्यक मामले जो निराकरण के प्रक्रम पर हैं अथवा जिनमें पक्षकारगण की न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक नहीं है और जिनकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है, को सुनवाई में लिए जाने के निर्देश देते हुए ऐसे प्रकरणों की कौज लिस्ट जारी किए जाने का आदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय में अंतिम तर्क एव आदेश हेतु लंबित ऐसे सिविल/आपराधिक प्रकरण जो केवल अधिवक्ताओं को सुनकर निराकृत किए जा सकते हैं, को निम्नलिखित कौज लिस्ट अनुसार कौलम संख्या 4 में उल्लेखित नियत पेशी दिनांक पर सुनवाई में लिया जाएगा-।

1	2	3	4	5	6
संक्र	प्रकरण क्र०	उच्चान	आगामी तिथि	उद्देश्य	अधिवक्ताओं के नाम
1	RCSA/5/18	बापूलाल वि० गोवर्धन	11.05.2020	अंतिम तर्क	श्री वैभव भटनागर, श्री ब्रजेश माथुर
2	RCSA/400053/16	अरमत बी वि० फरीद	11.05.2020	अंतिम तर्क	श्री आर.एन. शर्मा, श्री एस.के. मारु
3	RCSA/200009/2013	मगन वि० प्यारा	11.05.2020	आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के जबाब, आदेश एव अंतिम तर्क	श्री आनंदस्वरूप श्रीवास्तव, सुश्री अजू चौधे, श्री एस.के. मारु, श्री एस.के. भटनागर, श्री लोकेश भटनागर
4	MJCR/17/19	रेणुका वि० इंद्रेश	09.05.2020	अंतिम तर्क	श्री आर.के. मारु, श्री रूपम उपाध्याय
5	MJCR/400064/15	लाबूबाई वि० नारायण	09.05.2020	अंतिम तर्क	सुश्री अजू चौधे, श्री अरुण माथुर
6	RCT/780/17	शासन वि० विनोद	12.05.2020	अंतिम तर्क	श्री रोहित माथुर

उक्त प्रकरणों की सुनवाई केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जावेगी। अधिवक्तागण अपने निवास/कार्यालय से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की व्ही.सी. यूनिट से कनेक्ट करते हुए अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपनी लिखित बहस इस न्यायालय की ई-मेल आई.डी. amit.nagayach@ajj.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

(अमित नगायच)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1


आगर जिला शाजापुर

आगर दिनांक

पृ०क्र०-

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ आगर की ओर उल्लेखित अधिवक्तागण को सूचित करने हेतु प्रेषित।


व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
आगर जिला शाजापुर

न्यायालय:- सूरज सिंग राठोड, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर जिला शाजापुर म०प्र०

क्रमांक:- 112.

आगर, दिनांक-08.05.2020

// आवश्यक सूचना //

माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक वगु/12 जयलपुर दिनांकित 04.05.2020 एवं परिपत्र क्रमांक ए/911 जयलपुर दिनांकित 05.05.2020 तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, शाजापुर के परिपत्र क्रमांक 2037 शाजापुर दिनांकित 06.05.2020 व पृष्ठांकन क्रमांक 2038 शाजापुर दिनांकित 06.05.2020 अनुसार ऐसे अत्यावश्यक मामले जो निराकरण के प्रक्रम पर है अथवा जिनमें पक्षनिरगण की न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक नहीं है और जिनकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है, को सुनवाई में लिए जाने के निर्देश देते हुए ऐसे प्रकरणों की कॉज लिस्ट जारी किए जाने का आदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय में अंतिम तर्क एवं आदेश हेतु लघित ऐसे सिविल अपील प्रकरण जो केवल अधिवक्ताओं को सुनकर निराकृत किए जा सकते हैं, को निम्नलिखित कॉज लिस्ट अनुसार कॉलम संख्या में 4 उल्लिखित निगत पेशी दिनांक पर सुनवाई में लिया जाएगा-

क	प्रकरण क्र.	उन्मान	आगामी तिथि	उद्देश्य	अधिवक्ताओं के नाम
1	2	3	4	5	6
1	आर०सी०ए० /21/2019	अब्दुल खां आदि वि. गंगाराम आदि	09.05.2020	अंतिम तर्क	श्री वैभव भटनागर श्री आनंद स्वरूप श्रीवारस्तव

उक्त प्रकरणों की सुनवाई केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जावेगी। अधिवक्तागण अपने निवास/कार्यालय से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की वीडियो यूनिट के कनेक्ट करते हुए अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपनी लिखित वहस इस न्यायालय की ई-मेल आईडी surajrathore@aij.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

~~सूरज सिंग राठोड~~
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
आगर, जिला शाजापुर म०प्र०

प्रतिलिपि:-

✓ अध्यक्ष, अभिभूपक संघ आगर की ओर उल्लिखित अधिवक्तागण को सूचित करने हेतु प्रेषित।

सूरज सिंग राठोड
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
आगर, जिला शाजापुर म०प्र०

न्यायालय सत्यम पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आगर

क्रमांक.....445

दिनांक 05.05.2020

—सामान्य सूचना—

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी पूर्व आदेशों को सर्क्यूलर क्रमांक क्यू-11 दिनांक 02.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पालन में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक बढ़ा दिया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किये गए थे कि अर्जेन्ट नेचर के प्रकरणों को ही सुनवाई में लिया जावेगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सर्क्यूलर क्रमांक क्यू-12 दिनांक 04.05.2020 में यह निर्धारित किया है कि पूर्व से सुने जा रहे अर्जेन्ट नेचर के प्रकरणों के अलावा अंतिम तर्क, निर्णय, आदेश के प्रक्रम पर नियत प्रकरणों को भी सुनवाई में लिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में मौखिक साक्ष्य पर नियत प्रकरणों को सुनवाई में नहीं लिया जाना है।

अतः सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को पुनः सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर निम्न सिविल एवं आपराधिक प्रकरण (जो कि इस न्यायालय में अंतिम स्टेज अभियुक्त कथन, अंतिम तर्क, आदेश या निर्णय पर नियत नहीं हैं) नियत है उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर 2 में वर्णित दिनाकों को सुने जायेंगे।

नियत दिनांक	आगामी दिनांक	
	सिविल प्रकरण	आपराधिक प्रकरण
04 / 05 / 2020	06 / 06 / 2020	06 / 06 / 2020
05 / 05 / 2020	08 / 06 / 2020	08 / 06 / 2020
09 / 05 / 2020	09 / 06 / 2020	09 / 06 / 2020
11 / 05 / 2020	11 / 06 / 2020	11 / 06 / 2020
12 / 05 / 2020	13 / 06 / 2020	13 / 06 / 2020
14 / 05 / 2020	15 / 06 / 2020	15 / 06 / 2020

Satyam Pandey
सत्यम पाण्डेय 05.05.2020
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आगर,
आगर, जिला-शाजापुर (म.प्र.)

**न्यायालय सत्यम पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आगर**

--सामान्य सूचना--

कमांक.....**446**

दिनांक 05.05.2020

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश कमांक क्यू-12 दिनांक 04.05.2020 में अंतिम तर्क, निराकरण, निर्णय, आदेश के संबंध में इस न्यायालय का सामान्य सूचना पत्र कमांक 445 दिनांक 05.05.2020 के अतिरिक्त सूचना

सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रकम पर निम्न सिविल एवं आपराधिक प्रकरण जो कि इस न्यायालय में अंतिम स्टेज अभियुक्त कथन, अंतिम तर्क, आदेश या निर्णय पर नियत हैं, उन सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की दिनांक को बदलकर नियत किया जा रहा है जो इस प्रकार है-

क.	प्र.क.	उन्वान	प्रकम	नवीन नियत दिनांक
आपराधिक प्रकरण				
1	105 / 16	गीताबाई वि. सिद्धलाल	अंतिम तर्क / राजीनामा	12.05.2020
2	1221 / 16	शा.बडौद वि. कालीबाई	अंतिम तर्क	14.05.2020
3	0 / 2020	जस्सूबाई वि. पर्वतलाल	आदेश	14.05.2020
4	1467 / 14	शा.कानड वि. गीतेश उर्फ अमिताभ	अंतिम तर्क	11.05.2020
5	1413 / 16	शा.कानड वि. शंभूसिंह आदि	अभियुक्त कथन	11.05.2020
6	204 / 14	शा. आगर वि. संतोष	अभियुक्त कथन	12.05.2020
7	1915 / 15	शा.कानड वि. अंबाराम आदि	अभियुक्त कथन	14.05.2020
सिविल प्रकरण				
8		करणसिंह वि. बालूसिंह	तर्क	14.05.2020
9	28ए / 2020	रिजवाना वि. शाहीद खान	निर्णय	09.05.2020
10	76ए / 2019	रूखसार वि. राजा खान	निर्णय	09.05.2020
11	01बी / 2019	ओमप्रकाश अटल वि. कौशल विकास निगम	निर्णय	14.05.2020

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश क्यू-12 दिनांक 04.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर के कार्यालय के परिपत्र कमांक 2019/2020 दिनांक 04.05.2020 का पालन सुनिश्चित करने में अधिवक्तागण सहयोग प्रदान करें। न्यायालय कक्ष में पक्षकारों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसी कोई भी कार्यवाही इस अवधि में नहीं होगी जिसमें पक्षकारों की उपस्थिति की जरूरत हो। सभी अधिवक्तागण एवं अभियोजन अधिकारी, पुलिस बल, कर्मचारीगण सामाजिक मानक दूरी कम से कम दो मीटर का कार्य करते समय दूरी बनाए रखें और अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार का मास्क

(Signature)
05.29.20
आगरा-शाजापुर (म.प्र.)

पहनकर और संबंधित कार्य से पूर्व या कार्य के पश्चात यथा अंतराल से हाथों को सेनिटाइज करने का पूर्ण रूप से पालन करें। न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से सुनवाई भी की जाएगी।

अधिवक्तागण वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लिखित तर्क प्रस्तुत कर उक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने में तथा कोविड-19 की महामारी का बचाव सुनिश्चित करने में सहयोग करें।

किमिनल रीडर सुश्री ममता बिड़वाल (मो.नं. 9424075310) एवं सिविल रीडर श्री विजय फडियानी (मो.नं. 9893782293) से प्रकरणों की नियत दिनांकों एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सत्यजी पाण्डेय
05.05.2020
प्रथम व्यायाम न्यायालय, प्रथम श्रेणी, आगरा-2
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगरा-2
आगरा, जिला-शाजापुर (म.प्र.)